

बउनवान ..... जगदीश ..... बनाम ..... कुलचंद रंगो .....  
 धारा ..... 212 R.A. .... मुकदमा नं. .... 32K.22 ..... ऑनलाईन नं. .... 2023/69 .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
18/11/2025	<p>बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के बिन्दुओं पर गम्भीरता से मनन किया गया। पत्रावली पर विद्यमान दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी जगदीश पुत्र राधाकिशन गुर्जर ग्राम धनवा पटवार मण्डल कैथूदा भू0अभि0निरी0 क्षेत्र रामपुरिया तह0 पीपल्दा जिला कोटा के ख0नं0 71 रकबा 0.31 है0, ख0नं0 89 रकबा 0.18 में हि0 1/2 का खातेदार कृषक है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है, लेकिन प्रार्थी को किस प्रकार अपूर्ण्य क्षति होने की संभावना है, इस संबंध में कोई तर्कपूर्ण तथा साक्ष्य समर्थित आधार नहीं होने से प्रार्थी को अपूर्ण्य क्षति होना साबित नहीं होता है। सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p> 	